

बिहार सरकार  
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक जुलाई, 2015

पत्र संख्या-1/आर05-10-02/2012 गृ0आ0 / विभागीय अधिसूचना सं0-4177, दिनांक 18.06.2015 द्वारा श्री रमेश चन्द्र सिन्हा, भा0पु0से0 (1977), महानिदेशक-सह-आयुक्त, नागरिक सुरक्षा, बिहार, पटना को अवकाश रियायती यात्रा ब्लॉक वर्ष-2014-17 के अन्तर्गत स्वयं एवं अपनी पत्नी श्रीमती मृदुला रेणु सिन्हा के साथ दिनांक 24.06.2015 के पूर्वाह्न से दिनांक 30.06.2015 तक ऊँटकमण्ड (ऊँटी), तमिलनाडू की यात्रा करने हेतु एल0टी0सी0 यात्रा की स्वीकृति प्रदान की थी ।

2. उक्त यात्रा हेतु उन्हें दिनांक 24.06.2015, 25.06.2015, 26.06.2015, 29.06.2015 एवं 30.06.2015 को आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 27.06.2015 एवं 28.06.2015 को घोषित राजपत्रित अवकाश का उपभोग करने की अनुमति प्रदान की गयी थी ।

3. श्री सिन्हा, भा0पु0से0 (1977) द्वारा सूचित किया गया है कि अपरिहार्य कारणवश वे रियायती अवकाश यात्रा पर दिनांक 25.06.2015 के अपराह्न में प्रस्थान करेंगे । अतः दिनांक 24.06.2015 एवं 25.06.2015 को स्वीकृत आकस्मिक अवकाश रद्द की जाती है ।

4. पूर्व की अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(रामजीवन सत्यार्थी)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1/आर05-10-02/2012 गृ0आ0

/पटना, दिनांक जुलाई, 2015

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1/आर05-10-02/2012 गृ0आ0

/पटना, दिनांक जुलाई, 2015

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1/आर05-10-02/2012 गृ0आ0

4295 /पटना, दिनांक 9 जुलाई, 2015

प्रतिलिपि:-अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/श्री रमेश चन्द्र सिन्हा, भा0पु0से0 (1977), महानिदेशक-सह-आयुक्त, नागरिक सुरक्षा, बिहार, पटना / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के उप सचिव